

0.08.2025:-पत्रवाली आज पेशी मे ली गई। वादी अधिवक्ता अनुपरिथत। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया की वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र मे कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा रही है। वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन / वकालतन उपरिस्थ नही आये। वादी अधिवक्ता के उपरिथत नहीं आने के कारण वाद पत्र अदम पैरवी / अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

hkh
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़